

बिहार सरकार
गृह विभाग
सैनिक कल्याण निदेशालय

441

का0आ0/सै0क0नि0/11/03/2014/439/पटना-23, दिनांक 7 अप्रैल 2017

कार्यालय आदेश संख्या / 10 / 2017

दिनांक 17.01.2017 को हुई राजकीय प्रबंध समिति की 20वीं बैठक की कार्यवाही की मद संख्या 2.6 में निहित निर्णय के आलोक में पाराप्लेजिक सेन्टर किरकी (पूणे) एवं मोहाली (पंजाब) को आर्थिक सहायता राशि में बढ़ोत्तरी की गई है जिसमें बिहार राज्य के 100 प्रतिशत विकलांग सैनिकों जो पाराप्लेजिक सेन्टर किरकी (पूणे) एवं मोहाली (पंजाब) में भर्ती हैं का उपचार एवं पुनर्वास हेतु प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 25,000/-रु० से बढ़ाकर 50,000/- रुपया की दर से पाराप्लेजिक सेन्टर किरकी (पूणे) एवं मोहाली (पंजाब) को देने की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आदेश राजकीय प्रबंध समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की तिथि यथा 17.01.2017 से प्रभावी होगा तथा यह व्यय "बिहार स्टेट एक्स-सर्विसमेन बेनेवोलेंट फंड" से किया जायेगा।

(देव नारायण मंडल)
निदेशक

ज्ञापांक : सै0 क0 नि0/11/03/2014/439/पटना-23, दिनांक 7 अप्रैल 2017
प्रतिलिपि, महामहिम के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 4.12

ज्ञापांक : सै0 क0 नि0/11/03/2014/439/पटना-23, दिनांक 7 मार्च 2017
प्रतिलिपि, मेडिकल डायरेक्टर, पाराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेन्टर, पार्क रोड, किरकी, पूणे-411020/मेडिकल डायरेक्टर, पाराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेन्टर, मोहाली (पंजाब)-411020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 4.12

ज्ञापांक : सै0 क0 नि0/11/03/2014/439/पटना-23, दिनांक 7 अप्रैल 2017
प्रतिलिपि, सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/लेखापाल/प्रभारी सहायक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 4.12

दूरभाष/फैक्स-0612-2281016
ई-मेल-directorsknbihar@gmail.com